# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अवमानना प्रा0 पत्र संख्याः—136/2019**

1. शान्तिदेवी पत्नि स्व0 भंवरलाल पुत्री स्व0 रामलाल, जाति अहिर (यादव) नि0 भाट मौहल्ला, चन्द्रा कॉलोनी, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर।

**प्रार्थिया**

**बनाम**

1. लालू पुत्र स्व0 रामलाल, जाति अहिर (यादव), निवासी भाट मौहल्ला, तेजाजी का चौक, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजममेर ।
2. अरविन्द पारीक, तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

**अप्रार्थीगण**

**अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए जा0दी0 .**

**उपस्थितः—**

1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील प्रार्थिया।
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अप्रार्थी संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं0 2.

## निर्णय

**दिनांकः— 17.9.2019**

1. प्रार्थिया ने यह अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—जा0दी0 के तहत हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.3.2017 की अवमानना किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि प्रार्थिया ने अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.1.2017 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 17.3.2017 को अपील संख्या 33/2017 दर्ज की जाकर उभयपक्ष को सुनकर अधी0न्याया0 के आदेश को स्थगित करते हुए अपील में वर्णित आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने बाबत् आदेश पारित किया था जिसका अप्रार्थी को पूर्ण ज्ञान था । इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित रिलीजडीड के आधार पर नामांतकरण हेतु पेश प्रार्थना पत्र के साथ 50/—रू0 का स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया कि उक्त आराजी बाबत् किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 10.3.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक करने के आदेश पारित कर दिये । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का उक्त कृत्य हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 30.1.2017 की अवमानना होकर दण्डित किये जाने योग्य है । यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 हाजा न्यायालय में पक्षकार नियुक्त है जिन्हें भी उक्त अपील के नोटिस 6.2.2017 को जारी होकर तामील हो चुके थे । अप्रार्थी संख्या 1 ने हाजा न्यायालय का स्थगन आदेश होने तथा उसकी जानकारी होने के बावजूद झूंठा शपथ पत्र पेश कर नामांतकरण की कार्यवाही की है तथा अप्रार्थी संख्या 2 को भी उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद नामांतकरण के आदेश पारित किये है । इस कारण हाजा न्यायालय स्वप्रेरणा से भी धारा 340 सी0आर0पी0सी0 के

तहत संज्ञान लेकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकते है । अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना की है । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाकर तीन माह का कारावास की सजा से दण्डित किया जावे ।

3. विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17.3.2017 की किसी भी प्रकार अवहेलना नहीं की है । अपीलांट ने अपील दिनांक 1.2.2017 को पेश की जिस पर दिनांक 17.3.2017 को हाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् नामांतकरण दिनांक 8.2.2017 को पेश किये जाने पर बाद जांच दिनांक 14.3.2017 को नामांतकरण तस्दीक किया गया है । उक्त समस्त कार्यवाही हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनाक 17.3.2017 से पूर्व की है जिससे स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण तस्दीक करते समय हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नही किया हुआ था । इसलिये प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कारित की गई है किया गया कथन असत्य एवं निराधार है । अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

4. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । प्रार्थी का कथन है कि हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 17.3.2017 पारित किये जाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष नामांतकरण हेतु आवेदन पेश कर दिनांक 17.3.2017 को नामांतकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किये है जो हाजा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है । इस संबंध में अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील संख्या 134/2019/223 बउनवान शांतिदेवी बनाम लालू वगै0 को हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.3.2019 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा स्वतः ही सारहीन हो जाता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है ।

5. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

6. निर्णय आज दिनांक 17.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**